माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में

एसएलबीसी की बैठक

20दिसंबर, 2021

कार्य - सूची

एजेंडा क्रमांक- 1 क्रेडिट कैंप का आयोजन

एजेंडा क्रमांक- 2 मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना

एजेंडा क्रमांक- 3 प्रधानमंत्री स्व-निधि (पीएम स्व-निधि) योजना

एजेंडा क्रमांक- 4 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी)

एजेंडा क्रमांक- 5 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

एजेंडा क्रमांक- 6 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम्)

एजेंडा क्रमांक- 7 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम्)

एजेंडा क्रमांक- 8 माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से अन्य कोई विषय

बैंक आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के वित्तीय समावेश और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है| नवोदित उद्यमियों से लेकर परिश्रमी किसानों तक सभी हित धारकों की वित्तीय आवश्यकताओं को भी बैंक पूरा करता है| भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में स्व-रोजगार और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की भावना के साथ काम करने वाले लाखों लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पंख दिए हैं| इन योजनाओं में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम-स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, पीएमईजीपी आदि महत्वपूर्ण है|

एजेंडा क्र.- 1:-   क्रेडिट कैंप का आयोजन

दिनांक 16.11.2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक में मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार,जिला स्तर पर स्वरोजगार मेलों के आयोजन हेतु जिला स्तर पर बैंकों द्वारा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया जिसमें रु 51 करोड़ राशि के 2208 मुद्रा ऋण, 6268 हितग्राहियों को पीएम-स्वनिधि ऋण,रु 18 करोड़ की राशि के 206 हितग्राहियों को पीएम ईजीपी ऋण तथा रु 52 करोड़ की राशि के 1503 हितग्राहियों को स्व सहायता ऋण स्वीकृत किए गए हैं ।

एजेंडा क्र.- 2:-   <u>मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना</u>

ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्यरत पथ विक्रेताओं हेतु इस योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है | दिनांक 16.12.2021 तक 2.82 लाख ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ऋण स्वीकृत एवं 2.45लाख पथ विक्रेताओं ऋण का वितरण किया जाचुका है |

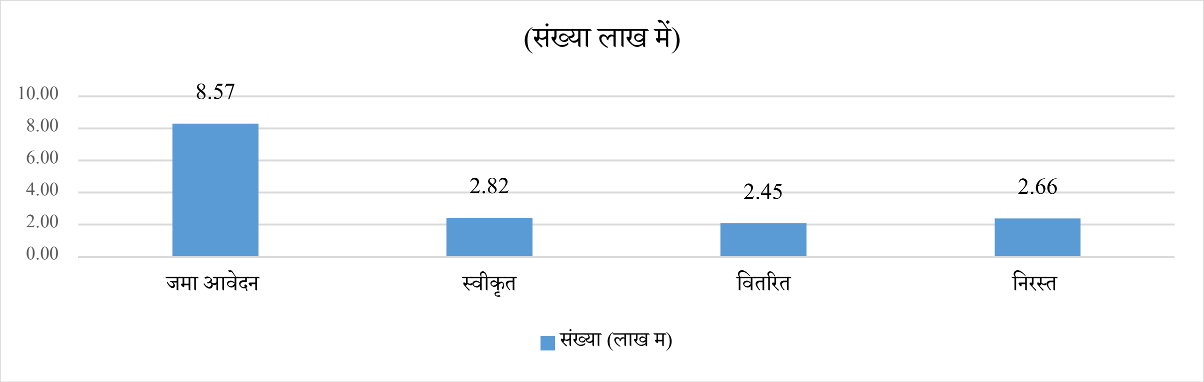

भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया और मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक इस योजना का क्रियान्वयन करने में प्रथम तीन बैंकों में शामिल हैं | इस वित्तीय वर्ष में 49265 पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित किये जा चुके हैं |

एजेंडा क्र.- 3:- <u>प्रधानमंत्री स्व-निधि (पीएम स्व-निधि) योजना की उपलब्धियां</u>

पीएम स्व-निधियोजनान्तर्गत राज्य में अबतक लगभग चार लाख तेतीस हजार शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित किये जा चुके हैं| दिनांक 16.11.2021 तक 4.69 लाख पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित किये गए| दिंनाक 16.11.2021 से 16.12.2021तक 0.38 लाख पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित किये जा चुके हैं| इस योजना का क्रियान्वयन करने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है| योजनान्तर्गत पहला ऋण चुकाने परपथ विक्रेता को रु. 20,000/- के ऋण की द्वितीय किश्त देने का प्रावधान है|

15,151 पथ विक्रेताओं कोदूसरे चरण (Second Tranche Rs. 20,000/-) **का ऋण वितरित किया जा चुका हैं| मध्यप्रदेश इस मामले में देश में पहला स्थान रखता है|**

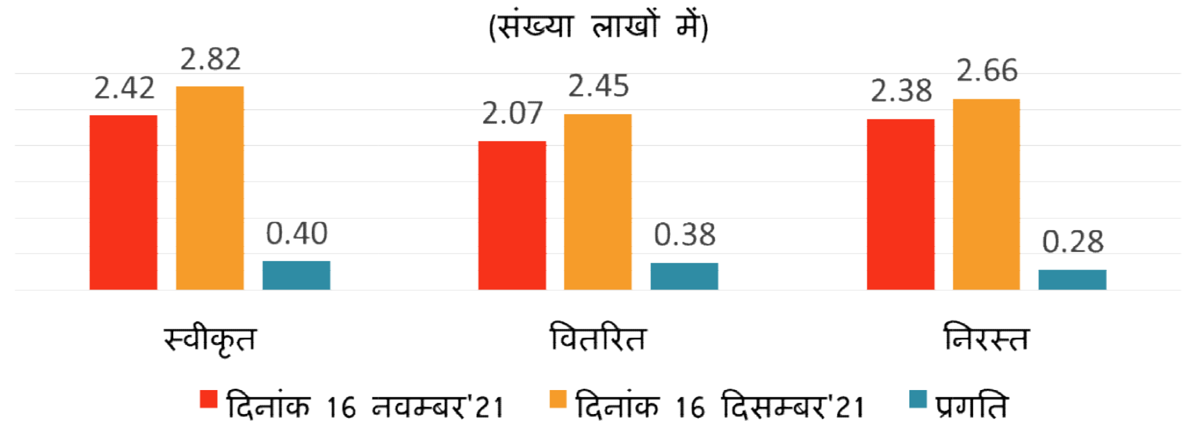

राज्य में अब तक भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया इस योजना के क्रियान्वयन में प्रथम तीन बैंकों में शामिल हैं |

एजेंडा क्र.- 4:- <u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की उपलब्धियां</u>

पीएमईजीपी केन्द्र सरकार का प्रमुख रोजगार सृजन कार्यक्रम है। योजनान्तर्गत रु. 25 **लाख तक का ऋण विनिर्माण इकाईहेतु एवं रु.**10 **लाख तक का ऋण सेवा इकाईके लिए दिया जाता है | सामान्य वर्ग हेतु सब्सिडी परियोजना लागत का** 15**से** 25% **तक एवं एससी/एसटी एवं अन्य वर्ग हेतु** 25**से** 35% **तक का प्रावधान है |**

प्रधानमंत्रीरोजगारसृजनकार्यक्रम(पीएमईजीपी) कीप्रगति

क्र	**विवरण**	**16.11.2021**		**16.12.2021**		**पिछलीविशेष एसएलबीसीबैठक से अब तक की प्रगति**	
		परियोजना की संख्या	**मार्जिन मनी राशि (करोड़)**	**परियोजना की संख्या**	**मार्जिन मनीराशि (करोड़)**	**परियोजना की संख्या**	**मार्जिन मनी राशि (करोड़)**
1	**लक्ष्य** 2021-22	7,022	211				
2	**बैंकों को प्रेषित प्रकरण**	15,004	391	18,451	481	3,447	90

3	**स्वीकृत**	2,920	78	4,450	117	1,530	39
4	**मार्जिन मनी वितरित**	1,630	48	2,490	72	860	24
5	**निरस्त**	5,028	125	7,644	187	2,616	62
6	**निर्णय हेतु लम्बित**	7,056	188	6,723	179	-333	-9
7	**उपलब्धि प्रतिशत**	23%	23%	35%	34%		

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक 16.11.2021 तक 2,920 परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी और रू. 48 करोड़ मार्जिन मनी हितग्राहियों को वितरित किये एवं 16.12.2021 तक 4,450 परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी और रू. 72 करोड़ मार्जिन मनी हितग्राहियों को वितरित किये। अधिक संख्या में परियोजनाओं को स्वीकृति देना स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना इंगित करता है।

एजेंडा क्र.- 5:- <u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की उपलब्धियॉ</u>

मुद्रा योजना में 10 लाख रूपये तक के ऋण बिना किसी Collateral Security **के प्रदान किये जाते हैं | इनमें तीन श्रेणियां यथा शिशु, किशोर एवं तरुण में ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है |**

1. **वित्तीय वर्ष 2020-21 में 32.49 लाख हितग्राहियों को और वित्तीय वर्ष 2021-22 में (16.12.2021 तक) 15.91 लाख हितग्राहियों को पीएमएमवाई ऋण स्वीकृत किए गए ।**
2. **शिशु ऋण का औसत आकार लगभग रू. 50,000 है।**
3. **किशोर ऋण का औसत आकार लगभग रु. 100000 है।**
4. **तरुण ऋण का औसत आकार लगभग रु. 750000 है।**

मुद्राऋणकीप्रगति पिछले पाँच वर्षों में

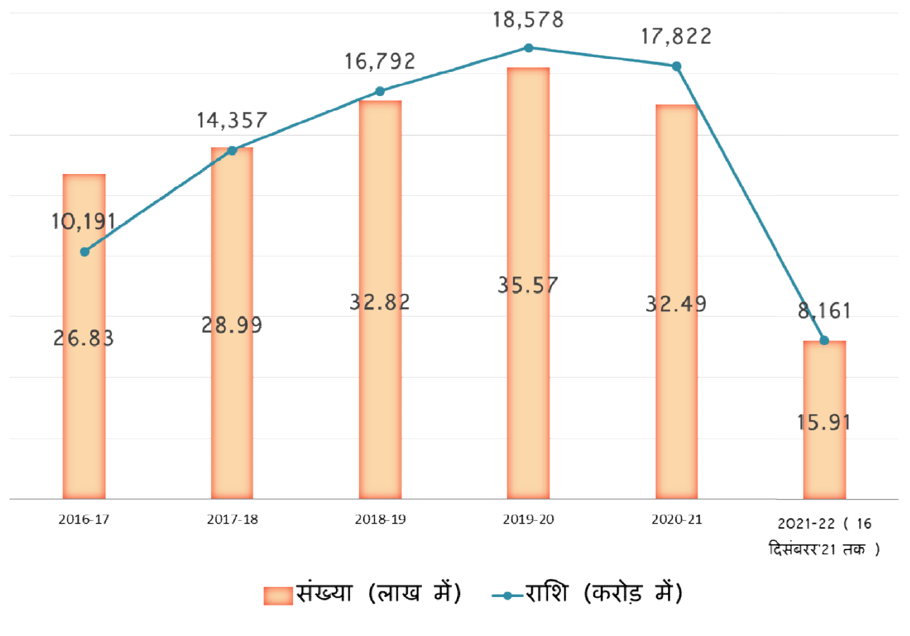

पिछली विशेष एसएलबीसी बैठक से अब तक की प्रगति

संख्या लाख में, राशि करोड़ में

संस्था	16.11.2021		16.12.2021		पिछली विशेष एसएलबीसी बैठक से अब तक की प्रगति	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
राष्ट्रीयकृत बैंक	1.59	1595	2.23	2151	0.64	556
प्राइवेट बैंक	4.77	2051	5.53	2486	0.76	435
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.57	501	0.67	591	0.09	90
सूक्ष्म वित्त बैंक	1.62	655	2.08	858	0.47	203
एनबीएफसी/ एम्एफआई	4.46	1719	5.40	2075	0.94	356
कुल	**13.01**	**6521**	**15.91**	**8161**	**2.91**	**1640**

एजेंडा क्र.- 6:- <u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)</u>

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) योजना का मुख्य उददेश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। योजनान्तर्गतरूपये 20 लाख तक का ऋण स्वयं सहायता समूहों को बगैर Collateral Security के देने का प्रावधान है |

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले एमपीएसआरएलएम् अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों को पात्रतानुसार 3% अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान करती है |

वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की उपलब्धि

(एनआरएलएम् के राष्ट्रीय पोर्टल के अनुसार)

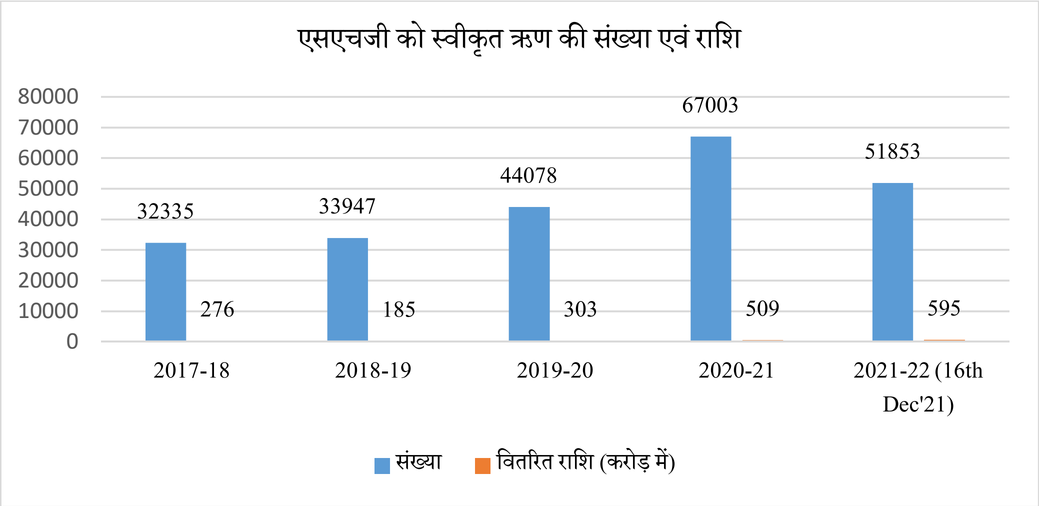

वर्ष 2021-22 के 1,13710 एसएचजी संख्या एवं 1,500 करोड़ की राशि के लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 16.12.21 तक 51,853

स्वसहायता समूह को 595 करोड़ की राशि के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

एजेंडा क्र.- 7:- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी गरीबी को कम करना है | वर्ष 2021-22 में 16.12.2021 तक योजना की प्रगतिनिम्नानुसार है:-

- स्वरोजगार कार्यक्रम (व्यक्तिगत ऋण) के तहत 15,000 लक्ष्य के विरूद्ध 4,230 प्रकरण स्वीकृत किये जा चुके हैं |
- स्वरोजगार कार्यक्रम (समूह ऋण) के तहत 750 लक्ष्य के विरूद्ध 181 प्रकरण स्वीकृत किये जा चुके हैं |
- स्व-सहायता समूहों का बैंक लिंकेज 7,620 लक्ष्य के विरूद्ध 2,768 एसएचजी का बैंक लिंकेज किया जा चुका हैं |

एजेंडा क्रमांक- 8 **माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से अन्य कोई विषय**